22-3-21 पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील
प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी प्रार्थना-
पत्र आज्ञप्ति निष्पादन स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। [illegible]
[illegible] तथा
बाद तामील [illegible]
[illegible]

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
...ी आई संख्या :– 36 / 2008
...ायर दिनाकं :– 05.05.2008
निर्णय दिनांक :– 22.03.2021

उनवान

1 रणजीत पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी दौसा तहसील दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

2 जिला कलक्टर दौसा

3 जगदीश पुत्र लच्छी राम जाति पंजाबी निवासी दौसा हाल निवासी आदर्श नगर जयपुर

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :– 1 श्री एम.एल. गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उक्त प्रकरण मे संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार [illegible] की साविक खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1175 [illegible] खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

(9)

1176 रकबा 9 बीघा बारानी दोयम तन मौजा दौसा कला में स्थित थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 3119 रकबा 0.63 है0 तथा खसरा नम्बर 3120 रकबा 1.42 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.05 है0 दर्ज रेवन्यू रिकार्ड मुताबिक मिलान क्षेत्रफल कायम होकर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की साविक खातेदारी के मुताबिक 2.31 है0 होना चाहिए था। सैटलमैन्ट विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा 0.26 है0 भूमि का अशुद्ध पर्चा जारी फरमाया है। प्रार्थी साविका रिकार्ड के मुताबिक 2.31 है0 भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार अधिघोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी की आराजी के पश्चिम की ओर उत्तर दक्षिण रास्ता खसरा नम्बर 3093 दर्ज रेवन्यू रिकार्ड है व साविका में प्रार्थी की साविका खातेदारी भूमि को दबाते हुये रास्ता प्रार्थी की हाल आराजी में कायम फरमा दिया गया। प्रार्थी की आराजी के सामने पश्चिम की ओर अप्रार्थी नम्बर 3 की खातेदारी भूमि को आम रास्ता में बढा कर भू-प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा दर्ज फरमा दिया गया। अप्रार्थी नम्बर 3 प्रार्थी की पश्चिम की ओर स्थित आराजी में बढाकर कब्जा करना चाहते है व पुख्ता निर्माण रास्ते की भूमि पर करने की नाजायज कोशिश करते है। प्रार्थी की आराजी के दोनो और स्थित गैर मुमकीन रास्ता खसरा 3118 व 3093 को बढाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हाल रिकार्ड एवं नक्शे में 0.26 है0 भूमि कम दर्ज कर दी गई। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने को आमादा है तथा प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही कर बेदखली की कार्यवाही को आमादा हो रहे है।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि साविक खसरा नम्बर 1175 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 1176 रकबा 9 बीघा के हाल खसरा नम्बर 3119 व 3120 रकबा 2.37 है0 वाके मौजा दौसा कला के साविक रिकार्ड मुताबिक प्रार्थी को अप्रार्थीगण के द्वारा बेदखल नही करने एवं निर्माण कार्य नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 बावजूद तामिल के अदालत मे उपस्थित नही होन पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के वादग्रस्त साविक खसरा नम्बर 1175 एवं 1176 का सम्वत 2019 खातेदारी एकीकरण का मिलान क्षेत्रफल पेश किया है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1176 रकबा 9 बीघा बनाया जाना पाया जाता है। प्रार्थी के द्वारा सम्वत 2041 का मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया गया, जिसके अभाव मे यह स्पष्ट नही होता है कि खसरा नम्बर 3119 रकबा 0.63 है0 खसरा नम्बर 3120 रकबा 1.42 है0 किस साविक खसरा नम्बर से बनाये गये है। प्रार्थी के द्वारा आवश्यक रिकार्ड, मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं करने से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केश, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखावाया जा कर खुले न्यायलय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner